

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 72/2019

तारीख 26.12.2019

कृष्णकन्हैया पुत्र हरिमोहन जाति मीना निवासी सेवतीखुर्द तह.खण्डार।

— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार।

— रेस्पोंडेंट


निर्णय

दिनांक 02.09.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नायब खण्डार द्वारा मिसल संख्या 174/2019 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम सेवतीखुर्द के आराजी खसरा नम्बर 631/319 रकबा 2.00 बीघा किस्म ब०का०च० पर संवत् 2077 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर जोत लगाने कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय पेट्रोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया इसलिये निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि अपीलार्थी का उक्त आराजी पर कोई कब्जा कस्त नहीं है। अपीलार्थीगण स्वयं के बुजुर्गान की कृषि भूमि पर कस्त कर रहे हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना माकै की जाँच किये ही कब्जे को मानकर गलत तरीके से 90 दिवस का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है अपीलार्थी को सिविल कारावास देते समय सिविल कारावास अधिनियम के प्रावधानों की पालना की बल्कि विद्वेषपूर्ण अहसास से अपीलार्थी को बिना सुने कानूनी प्रावधानों को ताके में रखकर निर्णय पारित कर अहम भूल की है। यह भी निवेदन किया है कि पश्चातवर्ती के सम्बन्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं होने से अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपील स्वीकार कर


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर




अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील पुराकार सरकार द्वारा वकील अपीलान्त द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया गया है कि अपीलान्त को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसकी विधिवत रूप से अपीलान्त के परिवार को तामील हुई है जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। अपीलान्त द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न है जिससे साबित होता है कि अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिचारी है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपीलान्त की अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है अपीलान्त को स्वयं को नोटिस की तामील करायी गयी। बावजूद सूचना अपीलान्त अदालत मातहत की समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील अपीलान्त का तर्क है कि अपीलान्त सुनवाई/सबूत प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमण आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्त द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न नहीं होने के कथन से में पूर्ण रूपेण सहमत हूँ। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्त स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 में बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्त को दिये गये 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाकर सजा माफ की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर